राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
8, अरेरा हिल्स, पुरानी जेल रोड भोपाल

क्रमांक / रा.स्वा.मिशन. / शहरी स्वास्थ्य / 2018 / भोपाल, दिनांक............

प्रति,

समस्त संभागीय संयुक्त संचालक
स्वास्थ्य सेवाए मध्यप्रदेश।

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मध्यप्रदेश।

खण्ड चिकित्सा अधिकारी बासौदा, सिरोंज (विदिशा), गोहद (भिण्ड), डाबरा (ग्वालियर), खचरोद—नागदा (उज्जैन), जावरा (रतलाम), ब्यावरा (राजगढ़), नालछा—पीथमपुर (धार), महू (इन्दौर), सेधवा (बड़वानी), राधवगढ (गुना), घोड़ाडोगरी (बैतूल), शुजालपुर (शाजापुर), केसला (होशंगाबाद), आष्टा (सीहोर), खुरई, बीना (सागर), गाडरवारा (नरसिंहपुर) एवं अब्बदुल्लागंज—मंडीदीप (रायसेन)।

विषयः—राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018—19 में स्वीकृत गतिविधि क्रमांक U.4 अन्टाइड ग्रांट के उपयोग हेतु दिशा निर्देश।

अनटाईड ग्रांट गतिविधि क्रमांक U.4.1.1.1 एवं U.4.1.1.2: के अंतर्गत शासकीय भवनों में क्रियाशील शहरी स्वास्थ्य केन्द्र हेतु रूपये 1.75 लाख प्रति भवन एवं किराये के भवन मे संचालित शहरी स्वास्थ्य केन्द्रो हेतु 1.00 लाख प्रतिवर्ष की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

वित्तीय व्यवस्था— शहरी स्वास्थ्य की विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु राशि ई—वित प्रवाह द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रदान की गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र का ऑपरेशनल एक्सपेंस एवं अन्टाइड ग्रांट की राशि जिला शहरी नोडल ऑफिसर एवं शहरी स्वास्थ्य केन्द्र के मेडिकल ऑफिसर संयुक्त बैक खाते में स्थानांतारित कर दी जाये। शेष अन्य जिला स्तरीय गतिविधियां शहरी नोडल ऑफिसर के द्वारा ए.पी. एम / डी.पी.एम. के द्वारा संचालित की जाये। (संदर्भ पत्र क्रमांक / रा.स्वा.मिशन / 2018 / 10781 भोपाल दिनांक 23 / 10 / 2018)

उक्त अन्टाइड ग्रांट की राशि के निर्देशानुसार उपयोग हेतु मेडिकल ऑफिसर के द्वारा लिखित मांग के आधार पर ए.पी.एम. / डी.पी.एम. नस्ती प्रचालित करे एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से स्वीकृति मिलने के उपरांत इस राशि का उपयोग नियमानुसार, प्रचलित भंडार क्रय नियमों का पालन करते हुये निम्नालिखित गतिविधियों हेतु कर सकते है --

- बायोमेट्रिक्स मशीन ।
- सी.सी.टी.वी. कैमरे ।
- भवन में पीने के पानी / इलेक्ट्रीफिकेशन।
- परिक्षण हेतु औजार—
  1. Sim's Speculum
  2. Anterior Vaginaal wall retractor
  3.Uterine sound
  4. Sponge holding forceps
  5. Steel tray
- इन्वर्टर बैटरी सहित ।
- सेम्पल एवं मेडिसिन इत्यादि सुरक्षित रखने हेतु रेफ्रिजेंटर ।
- मेडिसिन रखने की व्यवस्था हेतु अलमारी।
- स्र्टलाइजर।
- संस्था पर ए.एन.सी जॉच हेतु परीक्षण टेबल,लाइट सोर्स, डॉपटोन, स्क्रीनिग पर्दे आदि हेतु ।

- साइनेजेस एवं बोर्ड लगवाने हेतु।
- कार्यरत स्टॉफ एवं मरीजो के लिए अन्य दैनिक सुविधाओं की व्यवस्था आदि हेतु ।
- शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हेतु।

उपरोक्त निर्देशित सामग्रियों की उपलब्धता पश्चात् राशि शेष रहने पर/स्थानीय आवश्यकतानुसार संस्था प्रभारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी व जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा शासकीय संस्था पर अन्य कार्य यथा भवन का जीर्णोद्वार/रंगाई पुताई आदि करवाए जा सकते है। इन सभी व्यय का ब्यौरा रजिस्टर में रखते हुए वास्तविक व्यय के बिल वाउचर शहरी नोडल ऑफिसर से सत्यापित कर संधारित किये जाये।

उपरोक्तानुसार दिशा निर्देशो का पालन करते हुए समय सीमा में स्वीकृत गतिविधियो का आयोजन किया जाना सुनिश्चित करे ।

(डॉ. बी.एन. चौहान)
संचालक, एन.एच.एम.
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/रा.स्वा. मिशन /शहरी स्वास्थ्य/2018/ 11215 भोपाल, दिनांक 14.11.18

प्रतिलिपि –

1. अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. संचालक, एन.एच.एम.,भोपाल,मध्यप्रदेश।
4. संचालक वित्त, एन.एच.एम., भोपाल, मध्यप्रदेश।
5. उपसंचालक आशा सेल, हेल्थ एण्ड वेलनेस एवं एच.एम.आई.एस. भोपाल, मध्यप्रदेश।
6. संयुक्त संचालक,एन.एच.एम., भोपाल, मध्यप्रदेश।
7. समस्त जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, मध्यप्रदेश।
8. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक/सहायक कार्यक्रम प्रबंधक,मध्यप्रदेश।
9. जनरल मैनेजर टी.सी.आई.एच.सी मध्यप्रदेश।
10. राज्य प्रतिनिधि विश फाउण्डेशन मध्यप्रदेश।

संचालक, एन.एच.एम.
मध्यप्रदेश